>

Title: Need to give ownership of land to non-tribals farmers of Gadchiroli -Chimur Maharashtra.

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र के मेरे संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमुर की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो देश का शायद सबसे बड़ा, घना, आदिवासी बहुल, नक्सल प्रभावित और अविकसित क्षेत्र है । अध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र में आदिवासी और दलित समाज के साथ-साथ गैर आदिवासी यानी ओ.बी.सी. समाज और बंगाली समाज भी बड़ी संख्या में रहता है । बंगाली समाज सन् 1965 में पुनर्विकसित हुआ । करीब-करीब 50-55 साल हो गए, लेकिन उनको पट्टे नहीं मिल रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने वर्ष 2006-07 में किसानों को पट्टे देने का निर्णय लिया और उसमें आदिवासियों के लिए पांच साल खेती करने की शर्त लिखी गई और गैर आदिवासियों के लिए 75 साल खेती करने की शर्त यानी तीन पीढ़ी की शर्त लिखी गई थी । आदिवासियों के लिए जो पांच साल की शर्त रखी गई, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं हैं, उन्हें पट्टे मिल रहे हैं, लेकिन गैर आदिवासियों के लिए जो 75 साल की शर्त रखी गई है, उसमें दिक्कते आ रही हैं, रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज नहीं है । उनको पट्टे नहीं मिलने से योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उनमें बड़ा असंतोष फैला हुआ है । इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वर्ष 2007 में केन्द्र सरकार ने गैर आदिवासियों के लिए जो निर्णय लिया था, उस निर्णय में बदलाव करके ज्यादा से ज्यादा 25 साल तक शर्त रखी जाए तो अध्यक्ष महोदय इसमें गैर आदिवासी किसानों को पट्टे मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा, साथ में उनको योजनाओं का लाभ भी मिलेगा । देश के जो समूचे गरीब किसान हैं, गैर आदिवासी किसान हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और इस देश के लाड़ले पंत प्रधान श्री नरेन्द्र मोदी

जी का जो गांव, गरीब, किसानों का सपना है वह भी पूरा होगा, बहुत बहुत धन्यवाद ।